प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 04/2021 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 15.03.2021
निर्णय दिनांक - 30.03.2021

श्री हंसराज पानेरी पुत्रश्री रतनलाल पानेरी, 216, रावजी का हाटा, सरदारगढ़ हाऊस के पास, गणेश कॉलोनी, उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री हंसराज पानेरी पुत्रश्री रतनलाल पानेरी, 216, रावजी का हाटा, सरदारगढ़ हाऊस के पास, गणेश कॉलोनी, उदयपुर की सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 04.03.2021 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुई। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1123 दिनांक 15.03.2021 से श्री हसंराज पानेरी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज, जरिये ईमेल एवं डाक, सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 16.03.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित पुर्नग्रहण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके नम्बर 30/2014 हुए। उक्त अपील में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा दिनांक 04.05.2015 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व प्रावधानोंनुसार अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से पुर्नग्रहण आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब की गई थी जिसे निर्णय उपरान्त पुनः न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्रांक 4931 दिनांक 13.05.2015 से सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं था। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में संधारित नहीं होने एवं पुनःग्रहण आदेश नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी किया गया जिससे पुनःग्रहण से सम्बन्धित दस्तावेज उनके कार्यालय में संधारित होने से इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होने से

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचित कर दिया गया। प्रावधानोंनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी(7) के तहत पारित अपील निर्णय से असंतुष्ट होने पर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचित कर दिया गया। सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है, ऐसे प्रश्न किसी मामलें विशेष के औचित्य के बारे में पुछनें जैसा ही होगा। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना निर्णय पर चाही गई है, वह प्रश्नों के रूप में होने से सूचना की परिभाषा के दायरे में नही है। साथ ही प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रस्तुत अपील निराधार होने से निरस्त फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 17.03.2021 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त पत्र दिनांक 17.03.2021 अपीलार्थी को जरिये ईमेल, आरटीआई पोर्टल एवं डाक से प्रेषित किया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 17.03.2021 के क्रम में अपीलार्थी दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित होकर लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा सभी बिन्दु प्रथम अपील में पेश किया जा चुके है और सम्बन्धित दस्तावेज भी सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर दिये है, इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहना चाहते है। अपीलार्थी द्वारा यथोचित कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत किया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय संभागीय आयुक्त ने जिस भूमि को निर्णय का आधार माना है, उन दस्तावेजों को नगर विकास प्रन्यास में होना बताकर सूचना देने से टाला गया। इस तरह के आक्षेप अपीलार्थी द्वारा अपील के बिन्दु संख्या-2 से 6 में भी किये गये है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि सूचना का अर्थ किसी

भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया जो किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है। ऐसे में हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है कि प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा अपील के बिन्दु संख्या-7 एवं विशेष कारणों में यह कथन भी किया गया कि न्यायालय के निर्णय की पालना से सम्बन्धित सूचना चाही गई है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय के विरूद्ध अपील का सुझाव दिया है परन्तु अपील के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि स्पष्ट सूचना चाही गई है कि निर्णय की पालना में कौनसी भूमि के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था, या वह क्यों किया गया, या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रदान की गई सूचना की व्याख्यान करने की अपेक्षा रखता है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य मामलें में सिविल अपील संख्या-6454/2011 में स्पष्ट किया है कि किसी लोक प्राधिकरण में निष्कर्षो को निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या 'मत' या 'सलाह' दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में यह नियमानुसार सूचित किया गया कि प्रावधानोंनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी(7) के तहत पारित अपील निर्णय से असंतुष्ट होने पर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते है। अपीलार्थी के कथन उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं उक्त विधिक स्थिति के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2021 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलार्थी के सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री हंसराज पानेरी पुत्रश्री रतनलाल पानेरी, 216, रावजी का हाटा, सरदारगढ़ हाऊस के पास, गणेश कॉलोनी, उदयपुर

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर